धारा 269ट का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 269ट की उपधारा (1) के परन्तुक में "परन्तु ऐसे" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे मामले में जो धारा 269ब की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन आता है, उस परन्तुक के खण्ड (i) और खण्ड (ii) में निर्दिष्ट रकमें धारा 269ब के अधीन सम्पत्ति के केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को निविदत्त की जाएंगी जो उनके हकदार हैं, और उक्त परन्तुक के खण्ड (iii) में निर्दिष्ट रकम उस तारीख को निविदत्त की जाएगी जिसको वह संपृक्त पक्षकारों के बीच करार के अनुसार संदेय होगी, और जहां ऐसी रकम विभिन्न तारीखों को किस्तों में संदेय है वहां ऐसी किस्तों में उन तारीखों को निविदत्त की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे"।

नई धारा 276कक का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 276क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 269कग या धारा 269ब के उपबंधों के अनुपालन में असफलता।

"276कक. जो कोई युक्तियुक्त हेतुक या प्रतिहेतु के बिना, धारा 269कग के उपबंधों का या धारा 269ब की उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जो न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसा कारावास छह मास से कम का न होगा।"।

---

# सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 30)

[11 सितम्बर, 1981]

**कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण की उन्नति सम्बन्धी क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए कर्ता फिल्मों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(ख) "संपत्ति को विक्रय करने के करार के पूरे होने की तारीख को संपत्ति की उस कीमत को ध्यान में रखते हुए करार किया गया था जो ऐसी संपत्ति के खुले बाजार में विक्रय पर" शब्दों के स्थान पर "संपत्ति का अंतरण करने के करार के पूरे होने की तारीख को संपत्ति की उस कीमत को ध्यान में रखते हुए करार किया गया था जो ऐसी संपत्ति के खुले बाजार में ऐसे अन्तरण पर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी स्थावर संपत्ति के, जो धारा 269क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के ऐसे अधिकार हैं जो किसी ऐसे भवन या भवन के भाग में या उसकी बाबत है जिसका सन्निर्माण हो चुका है या जिसका सन्निर्माण होना है, अर्जन का आदेश अन्तिम हो गया है, वहां ऐसा आदेश अपने ही बल से इस प्रकार प्रभावी होगा कि —

(क) ऐसे अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारों के संबंध में उसी स्थिति में आ जाएगी जिसमें वह व्यक्ति था जिसमें ऐसे अधिकार निहित बने रहते, यदि ऐसा आदेश अन्तिम न हो जाता,

और सक्षम प्राधिकारी (क) और खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए किसी संपृक्त व्यक्ति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) किसी स्थावर सम्पत्ति की दशा में, जो धारा 269क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के ऐसे अधिकार हैं जो किसी भवन या भवन के भाग में या उसकी बाबत हैं, उपधारा (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो उनमें स्थावर सम्पत्ति के प्रति निर्देश, यथास्थिति, ऐसे भवन या ऐसे भवन के भाग के प्रति निर्देश हों ।" ।

धारा 269ञ का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 269ञ की उपधारा (1) में अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु जहां संपृक्त पक्षकारों के बीच करार के अधीन ऐसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए संपूर्ण प्रतिफल या उसका कोई भाग, उस तारीख के पश्चात् पड़ने वाली किसी तारीख या तारीखों को संदेय है, जिसको ऐसी सम्पत्ति अर्जित की जानी है, वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय प्रतिफल निम्नलिखित रकमों का योग होगा, अर्थात् :—

(i) एकल प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर रकम ;

(ii) वह रकम, यदि कोई हो, जो ऐसे करार के अनुसार उस तारीख को या उसके पहले संदेय हो गई है जिसको ऐसी सम्पत्ति का इस अध्याय के अधीन अर्जन किया जाता है ; और

(iii) वह रकम जो उस तारीख के पश्चात् संदेय है जिसको ऐसी सम्पत्ति का इस अध्याय के अधीन अर्जन किया जाता है ।" ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1952 का 37

(क) "चलचित्र फिल्म" का वही अर्थ है जो चलचित्र अधिनियम, 1952 में है;

(ख) "कथा फिल्म" से भारत में पूर्णतः या भागतः निर्मित पूरी लम्बाई वाली ऐसी चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है जिसका कोई रूपविधान हो और जिसकी कहानी कुछ पात्रों के आसपास घूमती हो और जिसका कथानक मुख्यतः संवादों के माध्यम से व्यक्त होता हो, न कि पूर्णतः वर्णन, सजीव या कार्टून चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता हो और इसके अन्तर्गत विज्ञापन फिल्म नहीं है;

(ग) 'विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ) किसी कथा फिल्म के संबंध में, "निर्माता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) ऐसी फिल्म का निर्माता; या

1952 का 37

(ii) जहां चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन ऐसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति।

1981 का 33

द्वारा, नियत के लिए प्र के रूप में

3. *[(1) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक कथा फिल्म पर एक हजार रुपए से अन्यून और बीस हजार रुपए से अनधिक ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, उत्पाद-शुल्क उपकर के रूप में उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।]

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, चलचित्र फिल्म पर उद्ग्रहणीय किसी उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

उत्पाद-शुल्क का संदाय।

4. (1) किसी कथा फिल्म पर धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क ऐसी फिल्म के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको वह चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन ऐसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है, संदेय होगा : 1952 का 37

परन्तु ऐसी फिल्म का निर्माता ऐसी फिल्म की बाबत अपने द्वारा संदत्त शुल्क के प्रतिदाय के लिए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित आधार पर आवेदन कर सकेगा कि —

1952 का 37

(क) ऐसी फिल्म की बाबत कोई प्रमाणपत्र देने से इंकार करने वाला आदेश चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5क के साथ पठित धारा 4 के अधीन किया गया है; और

(ख) यथास्थिति, उसका ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का आशय नहीं है या वह ऐसे आदेश का पुनरीक्षण नहीं चाहता है अथवा उक्त आदेश की उक्त अधिनियम के अधीन अपील पर या पुनरीक्षण पर पुष्टि कर दी गई है :

* 1 जनवरी, 1984 से प्रवृत्त हुआ — भारत का राजपत्र, सा.का.नि. 865(ई) तारीख 14-12-1985 — भाग II, खण्ड 3(i), असाधारण।

परन्तु यह और कि यदि किसी फिल्म की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र, उसकी बाबत संदत्त शुल्क का पूर्वगामी परन्तुक के अधीन प्रतिदाय करने के पश्चात् दिया गया है तो, निर्माता इस बात के लिए दायी होगा कि वह ऐसे प्रतिदाय किए गए शुल्क का केन्द्रीय सरकार को प्रतिसंदाय, ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर करे ।

(2) प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज —

(क) किसी फिल्म के संबंध में शुल्क की ऐसी रकम पर, जिसका कि उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार ने प्रतिदाय किया है, ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख से ऐसे प्रतिदाय की तारीख तक के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय होगा ;

(ख) शुल्क की किसी ऐसी रकम पर, जिसका किसी फिल्म के निर्माता को उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रतिदाय किया गया है, और जिसका उसने उस उपधारा के द्वितीय परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रतिसंदाय किया है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख से ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख तक के लिए उस फिल्म के निर्माता द्वारा संदेय होगा ।

शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना ।

5. धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क के आगम भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे ।

केन्द्रीय सरकार की छूट देने की शक्ति ।

6. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में कथा फिल्म की विषय वस्तु, उसकी तकनीकी क्वालिटी और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध से ऐसी कथा फिल्म को छूट दे सकेगी ।

उत्पाद-शुल्क का संदाय न किए जाने पर शास्ति ।

7. यदि धारा 4 के अधीन किसी कथा फिल्म के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय उत्पाद-शुल्क का, [जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा उत्पाद-शुल्क भी है जिसका प्रतिदाय कर दिया गया है किन्तु जिसका उस धारा की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उस सरकार को प्रतिसंदाय किया जाना अपेक्षित है], यथास्थिति, उस तारीख के पूर्व या उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस सरकार को संदाय नहीं किया गया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह बकाया है और इस निमित्त विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, निर्माता पर ऐसे प्रत्येक मास के लिए, जिसके दौरान उत्पाद-शुल्क बकाया हो, पचास रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे निर्माता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण से हुआ था, तो इस धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

इस अधिनियम के अधीन शोध्य रकम की वसूली ।

8. किसी कथा फिल्म के निर्माता से इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली (जिसके अन्तर्गत धारा 7 के अधीन संदेय शास्ति, यदि कोई हो, है) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

9. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

10. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क का निर्धारण और संग्रहण,

(ख) वह प्राधिकारी, जो धारा 7 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा,

(ग) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् प्रत्येक के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

21583

# अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 62)

[31 दिसम्बर, 1981]

**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने के लिए**

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1920 का 40 2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) वृहत् नाम में "की स्थापना और वृहत् नाम और उद्देशिका का संशोधन